न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—298 / 2018 / 223(2018 / 00298)

1. इन्द्रसिंह पुत्र हरनाथ सिंह, जाति रावत, निवासी नून्द्री मालदेव, तहसील ब्यावर जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र केसाजी,
2. हेमसिंह पुत्र जामलसिंह,
3. श्रीमती घीसी पत्नि महीपाल,
4. सुभाष पुत्र महीपाल,
5. रामेन्द्रसिंह पुत्र करमासिंह,
6. श्रीमती केली पत्नि नाथूसिंह,
7. राजू पुत्र नाथूसिंह,
8. पूनम सिंह पुत्र नाथूसिंह,
9. बस्तीसिंह पुत्र तेजा,
10. मोहन पुत्र तेजा,
11. लादूसिंह पुत्र हजारीसिंह,
12. मानसिंह पुत्र हजारीसिंह,
13. शेलेन्द्रसिंह पुत्र गोविन्दसिंह,
14. राजेन्द्रसिंह पुत्र गोविन्दसिंह,
15. श्रीमती सीता पत्नि गोविन्दसिंह,
16. नरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह,
17. बस्तीसिंह पुत्र मोटसिंह,
18. श्रीमती कमला पत्नि मोहनसिंह,
19. गोविन्दसिंह पुत्र गुमानसिंह,
20. प्रतापसिंह पुत्र गुमानसिंह,
21. भोमसिंह पुत्र गुमानसिंह,
22. देवीसिंह पुत्र डूंगरसिंह,
23. सुवासिंह पुत्र डूंगरसिंह,
24. मांगूसिंह पुत्र डूंगरसिंह,
25. रूघासिंह पुत्र डूंगरसिंह,
26. रमेश पुत्र देवीसिंह,
27. श्रीमती सीता पत्नि देवीसिंह,
28. जोरावरसिंह पुत्र धन्नासिंह,
29. शेतानसिंह पुत्र धन्नासिंह,
30. श्रीमती सीता पत्नि धन्नासिंह,
31. बालूसिंह पुत्र अहमदाजी,
32. भैरू पुत्र अहमदा जी,
33. श्रीमती दाखू पत्नि अहमदाजी,
    समस्त जाति रावत, नि0 नून्द्री मालदेव पटवार हल्का नून्द्री मालदेव, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।
34. उप पंजीयक, ब्यावर ।
35. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक, तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर , दिनांक 18.7.2018 अंतर्गत वाद संख्या 59/2018 (122/2014).

उपस्थितः–

1. श्री भींयाराम चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री वकील मोहम्मद, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री राकेश अरोड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 21.

निर्णय

दिनांकः–22.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.7.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम नून्द्री मालदेव तहसील ब्यावर में स्थित खसरा नंबर 1 रकबा 19–19–00, खसरा नंबर 2 रकबा 00–14–00, खसरा नंबर 3 रकबा 00–14–00, खसरा नंबर 4 रकबा 01–01–00, खसरा नंबर 5 रकबा 1–3–00, खसरा नंबर 31 रकबा 00–02–00, खसरा नंबर 34 रकबा 2–09–00, खसरा नंबर 35 रकबा 00'–10'–10, खसरा नंबर 40 रकबा 00–07–00, खसरा नंबर 301 रकबा 2–01–0 बीघा कुल किता 10 कुल रकबाि 29–00–10 स्थित है । वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 33 का सिजरा वादपत्र में अंकित कर कथन किया कि उपरोक्त संपूर्ण आराजियात में 1/2 हिस्से के स्व0 बब्जासिंह खातेदार थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है। बज्जासिंह के 6 संताने हुई जो भोमसिंह, माधोसिंह, दुर्गासिंह, भवानीसिंह, हमीरसिंह, जवानसिंह थे जिनका भी समय–समय पर स्वर्गवास हो गया है, इनको बज्जासिंह के उत्तराधिकार में संपूर्ण आराजियात में से 1/2 हिस्से में से 1/6, 1/6 हक हिस्सा प्राप्त हुआ । चूंकि बज्जासिंह के सभी संतानों का समय–समय पर स्वर्गवास हो चुका है, उनके फौती नामांतकरण दाखिल खारीज भी समय–समय पर खोले जा चुके है । फौती नामांतकरण खोलते समय पटवारी ने सहवन से माधोसिंह व भवानीसिंह का 1/6 हिस्सा में से एक हिस्सा कायम कर दिया इस प्रकार मौके पर बज्जासिंह के वारिसानों का 1/5, 1/5 हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया गया । माधासिंह व भवानीसिंह के अलावा समस्त वासिरानों ने अपने–अपने हक हिस्से की भूमियों का बेचान कर दिया जिसका अंकन दरामद राजस्व रिकार्ड में हो रखा है, रेवता ने भी अपना हक हिस्सा बेचान कर दिया । बाद में उनका भी स्वर्गवास हो चुका है । माधोसिंह व भवानीसिंह ने बिना उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात में से अपने हक हिस्से का बंटवारा किये उपरोक्त भूमियों में कुछ भूमियों का बेचान कर दिया जिसका उन्हें कोई विधिक हक अधिकार प्राप्त नहीं था । वादी व प्रतिवादीगण बिना किसी रोकटोक के काबिज काश्त चले आ रहे है । चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 33 की नियत बद है एवं वर्तमान राज।स्व रिकार्ड में अपना नाम अंकन होने का फायदा उठाकर वादी के हक हिस्से में भी आने वाली भूमियों का बेचान करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 से 33 को कोई विधिक अधिकार नहीं है । अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक में प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री पारित की जाकर वादपत्र के चरण संख्या 1 में वादी स्व0 बज्जासिंह के उत्तराधिकार में वादग्रस्त आराजियात में से 1/6, 1/6 हक हिस्सा प्राप्त करने का

विधिक अधिकारी है इसी अनुसार वादी को उपरोक्त वादग्रस्त आरराजियात का मालिक खातेदार घोषित किया जावे एवं विवादित आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डवस विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.7.2018 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद स्वीकार करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलबध समस्त साक्ष्य सबूतों को नजरअदांज कर निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज किया कि परीक्षण न्याया0 द्वारा विचारधीन प्रकरण दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की गई किन्तु निर्णय तनकीवार नहीं किया गया है जो आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के प्रावधित प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी के मूल खातेदार बज्जा थे उनके 6 पुत्र क्रमशः भोमसिंह, माधोसिंह, दुर्गासिंह, भवानीसिंह, हमीरसिंह व जवानसिंह थे । विवादित आराजियात प्रवितादी संख्या 1 से 33 की संयुक्त सहखातेदारी की आराजियात है । संपूर्ण आराजी में से बज्जासिंह का 1/2 हक हिस्सा था जिनका स्वर्गवास काफी वर्षो पूर्व हो चुका है और उक्त संपूर्ण आराजी में से 1/2 हक हिस्सा में से 1/6, 1/6 हिस्सा निहित है लेकिन उनकी संतान कास्वर्गवास होने पर राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकार्ड में हक व हिस्सो में परिवर्तन कर दिया जिसको दुरूस्त कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा होना चाहिये था और अपीलांट/वादी ने सन् 2014 में जो राजस्व वाद प्रस्तुत किया था उसमें उस समय की जमाबंदी प्रस्तुत की गई थी जबकि उक्त निर्णय में वर्तमान जमाबदी में हिस्सों का अंकन गलत रूप से कर दिया उसको दुरूस्त करवाने के लिये यह वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधी0न्याया0 ने मात्र कयासों के आधार पर वाद को डिक्री करने में त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वर्तमान अपीलांट वादग्रस्त भूमि का रिकार्ड खातेदार काश्तकार है तथा पुष्पा रांका द्वारा उक्त प्रकरण में न तो पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और न ही अपीलांट ने इसका पक्षकार बनाया इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने उसके अधिकक्तागण का वकालतनामा किस आधाार पर प्रकरण में लेकर किस आधार पर निर्णय पारित किया है । पुष्पा रांका का इस आराजी में किसी प्रकार से हक व अधिकार निहित नहीं है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद में अपने हिस्से का बंटवारा करने का वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपीलांट की खातेदारी को कम करके, प्लीडिंग से बाहर जाकर खातेदार काश्ताकर घोषित कर दिया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय की जानकारी दिनांक 10.9.20158 को हुई तद्पोरांत निर्णय की नकल प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निर्णित की जावे ।

6. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 21 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन विश्लेषण कर विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाता है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की आराजियात रही है । वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुंत सजरे के अनुसार बज्जासिंह का भूमियों में आधा हिस्सा व उसके पुत्र माधोसिंह का आधे हिस्से में से 1/6 हिस्सा अर्थात् 1/12 हिस्सा होना वर्णित किया है। उक्त सजरे के अनुसार माधोसिंह के पुत्रगण लूमसिंह, दल्लासिंह, बिरदासिंह व डूंगरसिंह प्रत्येक का 1/12 हिस्से में से 1/4 हिस्सा अर्थात् कुल भूमियों में 1/48 हिस्सा होना बताया है । इस प्रकार वादी/अपीलांट के दादा बिरदा सिंह का इन भूमियों में 1/48 हिस्सा होता है । श्री बिरदासिंह के पांच पुत्र होना अंकित किया गया है । वादी/अपीलांट के पिता हरनाथ सिंह वगैरह कुल 5 भाई थे जो कि कुल भूमियों का 1/240 वां हिस्सा होता है । सजरे में वादी/अपीलांट द्वारा हरनाथ सिंह के 7 पुत्र होना अंकित किया है । इस प्रकार कुल भूमि रकबा 29 बीघा 10 बिस्वांसी में से वादी का 1/1680 वां हिस्सा आता है जिसका रकबा लगभग 7 बिस्वांसी से भी कम अर्थात् 33 गज होता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 18.7.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट एवं रेस्पो0 दोनों अधिवक्तागण द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारे की प्रारंभिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है एवं बाद अवलोकन वादी/अपीलांट का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं होने से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कल्क्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.7.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 22.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर